

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा (राज.)

क्रमांक : स्था/2024/ 06

दिनांक : 9/2/24


:: रिमाण्ड ड्यूटी बाबत संशोधित कार्यालय आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं नगेन्द्र सिंह, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा पूर्व में जारी रिमाण्ड ड्यूटी आदेश क्रमांक 04 दिनांक 03.02.2024 में प्रशासनिक कारणों से आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 18.02.2024 को रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत अधिकारी सुश्री रोजी कंसारा, जे.एम. माण्डल, भीलवाड़ा के बजाय उक्त राजकीय अवकाश में भीलवाड़ा जिला न्यायक्षेत्र के द्वितीय जोन की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्य (जैसे कि न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड, पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड, प्रोटोकॉल, मृत्यु समीक्षा, मृत्युकालीन कथन, जमानत प्रार्थना पत्र एवं अन्य) को निम्नानुसार अधिकृत न्यायिक अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जावेगा-

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	दिनांक	अधिकृत न्यायिक अधिकारी के मोबाईल नंबर
1	प्रथम व द्वितीय जोन रिमाण्ड ड्यूटी ऑफिसर श्रीमती कंचन सिंह राजावत	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई. एक्ट प्रकरण संख्या-03 भीलवाड़ा	18.02.2024	9214438897

निर्देश :-

- 01- कि अवकाश के दिन न्यायालय में बैठने का समय प्रातः 10 से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा। कोविड-19 संबंधी समस्त गाईड लाईन की पालना कर्तव्यनिष्पादन में सुनिश्चित की जावेगी।
- 02- अधिकृत किए गए न्यायिक अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्यदिवस के कार्यालय समय पश्चात् से पश्चात्वर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।
- 03- यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के पूर्ववर्ती या पश्चात्वर्ती दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही न्यायिक अधिकारी उक्त कार्य करेंगे, जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व निर्धारित दिवस के लिये नियत किये गये थे।
- 04- नियत किये गये दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत न्यायिक अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य न्यायिक अधिकारी की लिखित सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे तथा कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करेंगे।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा

क्रमांक :

288

दिनांक :

११/२/२५

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, भीलवाड़ा
2. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र
3. उपरोक्त समस्त न्यायालय
4. लोक अभियोजक, जिला न्यायालय भीलवाड़ा
5. अक्षयक्ष/सचिव, बार एसोसिएशन, न्यायालय परिसर, भीलवाड़ा
6. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग, भीलवाड़ा
7. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, भीलवाड़ा
8. जिला कारागृह, भीलवाड़ा
9. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय, भीलवाड़ा सभी पीठासीन अधिकारियों एवं न्यायालयों को मेल करें तथा जिला न्यायालय, भीलवाड़ा की वेबसाईट पर इस आदेश को अपलोड करें।
10. आदेश पत्रावली/नोटिस बोर्ड

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा